राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	अनीता बनाम बाबूलाल 513/2022 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

10/4/26

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश की | तत्पश्चात अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 27/04/2026 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

27.4.26

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीयां ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम रामपुरा उर्फ कंवरपुरा बीलवा तहसील सांगानेर स्थित आराजी खाता संख्या के हाल खसरा नंबर 29, 37, 50, 70, 99, 100, 106, 107, 204, 205, 416, 484, 485, 572, 575, 585, 587, 588, 593, 594 कुल किता 20 कुल रकबा 5.24 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 70 के खसरा नंबर 458 रकबा 0.02 हैक्टेयर गैर मुमकिन चाह, खाता संख्या 12 के खसरा नंबर 139 रकबा 0.34 हैक्टेयर बारानी अव्वल खाता सं. 71 के खसरा नंबर 427 रकबा 0.03 गैर मुमकिन चाह, तथा खाता संख्या 69 के खसरा नंबर 102, 423, 424, 426, 486, 591, 597, 419/688 तथा खाता संख्या 67 के खसरा नंबर 69 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै.मु. चाह तथा खसरा नंबर 441 रकबा 0.01 गै.मु.चाह वकै है | वादिया ने वादपत्र में आगे सजरा खानदान अंकित करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार स्वर्गीय बिरधीचन्द (दादा वादिया) था तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् भूमि वादग्रस्त के खातेदार उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या एक से पांच के नाम खातेदारी अंकित हुई जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 पेश है । इस प्रकार वादिया अपने दादा बिरधीचन्द की एकमात्र पौत्री है एवं भूमि वादग्रस्त पैतृक भूमियां होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वादियां भूमि वादग्रस्त में से अपना हिस्सा प्राप्त करने की कानूनन अधिकारिनी है। खसरा नंबर 458 रकबा 0.02 गैर मुमकिन चाह में प्रतिवादी संख्या एक से पांच का 1/18 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है, खसरा नंबर 139 रकबा 0.34 है. में प्रतिवादी संख्या एक से पांच के नाम तथा खसरा नंबर 427 रकबा गै. मुमकिन चाह तीन ऐयर में 1/18 हिस्सा तथा खसरा नंबर 102, 423, 424, 426, 486, 591, 597, 419/688 अन्य व्यक्तियों के साथ प्रतिवादीगण संख्या एक से पांच के नाम राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सेनुसार खातेदारी दर्ज है | स्वर्गीय विरधीचन्द के खातेदारी की भूमियो से संबंधित विवाद प्रतिवादीगण संख्या एक से सात के मध्य ही है अन्य व्यक्तियों के नाम अंकित खातेदारी का कोई विवाद नही हैं वादिया अपने स्वर्गीय दादा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	अनीता बनाम बाबूलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	513/2022	

बिरधीचन्द की सम्पत्ति में अपना अधिकार हक क्लेम करती है। विवाद स्वर्गीय बिरधीचन्द के नाम संख्या एक से पांच का 1/5 भाग अंकित है। एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की अधिका संयुक्त खातेदारी की भूमियां है एवं प्रतिवादी संख्या एक से पांच आपस में संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है एवं शामिल में ही लगान अदा करते आ रहे है। भूमि वादग्रस्त शाखा का आज तक विधि सम्मत मिट्स एण्ड बाउण्ड्स में खाता एवं लगान विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादी संख्या एक से पांच स्वर्गीय बिरधीचन्द के पुत्र हैं एवं आपस में सगे भाई है तथा वादिया प्रतिवादी संख्या एक की जायन्दा पुत्री है तथा स्व. बिरधीचन्द की पौत्री होने से तथा भूमि वादग्रस्त पैत्रिक भूमि होने से वादिया का हिस्से में से अपना 1/2 प्राप्त करने की पूर्ण कानूनी अधिकारिनी है। संयुक्त खातेदारी की भूमि वादग्रस्त में खसरा नंबर 570 का एक नुमायशी विक्रयपत्र रामचन्द्र ने अपनी पत्नि प्रतिवादी संख्या 6 प्रेमदेवी के पक्ष में अनुचित एवं अवैध रूप से कर दिया उक्त अनाधिकृत विक्रयपत्र प्रारम्भत ही शून्य है एवं ऐसे विक्रयपत्र से वादिया पाबंद नही है तथा उक्त विक्रयपत्र वादिया के ह अधिकारो के विरूद्ध क्लेमस व बेअसर हैं। वादिया का पिता प्रतिवादी संख्या एक बाबूलाले का चाल चलन ठीक ना होने से एवं उसकी गलत आदतो से भूमाफिया के तथा असामाजिक तत्वों के सम्पर्क में एवं साथ रहकर संयुक्त खाते की भूमि वादग्रस्त का येन केन प्रकारेण बिना किसी कारण के अविभक्त भूमि का विक्रय करने पर उतारू हो रहा है तथा उसके इस कार्य में प्रतिवादी संख्या दो से 6 प्रतिवादी संख्या एक का अनुचित रूप से सहयोग करते है तथा प्रतिवादी संख्या एक अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी का भरण पोषण भी नही करता है। अभी दि ांक 18.12.2004 को वादिया अपने पीहर अपनी बिमार मां प्रतिवादी संख्या सांत को देखने उससे मिलने तथा अपनी मां की सार संभाल करने अपने पिहर ग्राम रामपुरा उर्फ कंवरपुरा बीलवा गई तथा करीब एक सप्ताह अपनी मां की सेवा सुश्रुषा करती रही दिनांक 25.12.2004 को प्रतिवादी संख्या एक दिन के करीब दो बजे अपने साथ पांच-छः व्यक्तियों को जिन्हे वादिया नही जानती है अपने साथ लेकर पहले तो मकान पर आया तथा मकान पर ही उनसे भूमि के बेचान करने की बातचीत करने लगा तथा करीब आधा घण्टे बाद भूमि वादग्रस्त प . उन व्यक्तियों को अपने साथ लेकर चला गया। शाम को प्रतिवादी संख्या एक के वापिस घर पर आने पर वादिया ने प्रतिवादी संख्या एक से भूमि के बेचान करने के बारे में पूछा तो प्रतिवादी संख्या एक ने गुस्सा खाकर झुंझलाते हुए वादिया को यह धमकी दी कि मैं तो जमीन बेचकर ही रहूंगा तुझे जो करना है सो कर ले। प्रतिवादी संख्या एक द्वारा दिनांक 18. 04 एवं 25.12.2004 को भूमि वादग्रस्त का विक्रय करने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	अनीता बनाम बाबूलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	513/2022	

की धमकी देने पर वादिया को वाद हैतुक उत्पन्न होकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह दावा निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। चूंकि भूमि वादग्रस्त पैतृक भूमि है एवं वादिया के दादा स्वर्गीय बिरदीचंद का खातेदारी की भूमि है एवं अविभक्त भूमि है जिसमें वादिया का एवं उसकी रामा प्रतिवादिया संख्या सात का कानूनी अधिकार होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह दावा - विभाजन करना आवश्यक हुआ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | प्रतिवादीगण की और से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04/05/2022 पारित करते हुये वादग्रस्त आराजीयात में से खसरा नंबर 572, 582, 587, 588, 593, 594, 484, 485, का बेचान इनके सह-खातेदार काश्तकार द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 को किया जा चुका है और प्रतिवादी संख्या 9 ने उक्त भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण को समर्पित कर दी है मौके पर कब्जा भी प्रतिवादी नंबर 9 व उसके आवंटियो का है ऐसे में उक्त आराजीयात में वादिया को खातेदारी प्रदान किया जाना उचित नही समझते है। शेष खसरा नंबरान् 29, 87, 50, 70, 99, 100, 106, 107, 204, 205, 416 में वादिया को 1/5 हिस्से में से 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं एवं तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार वादिया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 29, 37, 50, 70, 99, 100, 106, 107, 204, 205, 416 वाके ग्राम रामपुरा उर्फ़ कँवरपुरा पटवार क्षेत्र बीलवा भू.अ.नि. क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड विधि सम्मत बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तकासमा कर अलग-अलग खाता व लगान कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रवाली का अवलोकन किया गया | अपीलार्थीयां द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गयी है, ऐसेमें सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना आवश्यक समझा जाता है | अत: प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम के सम्बन्ध में दौराने बहस उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम अवलोकन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	अनीता बनाम बाबूलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	513/2022	

किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि इस अपील की अपीलार्थीयां अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विचाराधीन वाद की वादिया है एवं डिले कन्डोन करवाने हेतु अपीलार्थीयां द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में सरसरी तौर पर तथ्य अंकित कर डिले कन्डोन का अनुतोष चाहा गया है, जबकी विधि के प्रावधानों के अनुसार दिन-प्रतिदिन की देरी को एवं डिले के कारण को स्पष्ट किया जाना आवश्यक होता है किन्तु ऐसा नही किये जाने से अपीलार्थीयां डिले कन्डोन करवाने की कानूनन अधिकारी नही रह जाती है। ऐसी स्थिति में अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य प्रतीत नही होता है। इसके अतिरिक्त अपील के गुणावगुण पर उभयपक्षों द्वारा उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों का समुचित परिक्षण/विवेचन सही रूप से करते हुये विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 572, 582, 587, 588, 593, 594, 484, 485 का इनमे सहखातेदारान/काश्तकारान द्वारा प्रतिवादी रेस्पो. संख्या 9 को बैचान कर दिये जाने के उपरान्त उक्त आराजी को जयपुर विकास प्राधिकरण को समर्पित कर दिये जाने के पश्चात मौके पर रेस्पो. संख्या 9 व आवंटीयो का कब्जा होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप से वादिया/अपीलार्थीयां के वाद को अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से आंशिक रूप से डिक्री किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीयां मियाद बाहर धारित कर एवं गुणावगुण पर भी बलहीन होने से ख़ारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04/05/2022 यथावत रखे जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर